न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 43/19

1.श्रीमति मथुरा देवी पत्नि रतन लाल
2. श्रीमति ओमा देवी पत्नि किशनलाल जाति जाट निवासीगण केकड़ी —**प्रार्थीयागण**

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर —**अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः— श्री मुरलीधर शर्मा वकील — प्रार्थी
पैरोकोर सरकार —अप्रार्थी

आदेश

दिनांक 05.12.2019

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम केकड़ी की जमाबदी सवत् नया—पुराना 2423—2437 खसरा नम्बर 0.08है0 व खसरा नम्बर 1329/8673 रकबा 1.34 है0 जिसका सम्पूर्ण हिस्से को प्रार्थीयागण व सोदरा देवी,मीरादेवी,शम्भूदेवी गीता देवी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के दिनांक 16.1.2008 को क्रय किया था जिसका राजस्व रेकार्ड मे नामा0 अमल दरामद हो गया। प्रत्येक का 1/6 हिस्सा अनुसार काबिज काश्त थे। प्रार्थीयांगण मथुरा देवी,ओमा देवी व सोदरा ने अपने उक्त आराजी मे 1/2 हिस्से मे से आधा हिस्सा यानि कुल आराजी के 1/4 हिस्से को दिनाक 19.01.2008 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के क्रेती श्रीमति चन्ता पत्नि पप्पू व कमला पत्नि प्रहलाद जाति जाट निवासीगण केकड़ी को बेचान की थी जिसका नामा0 संख्या 468 दिनांक 23.02.2008 को राजस्व रेकार्ड मे नामा0 खोला जिसमे पटवारी द्वारा सहवन से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मे दर्शाये गये हिस्सा यानि हम लेख्यकर्तीगण के 1/2 हिस्से मे से आधा हिस्सा यानि कुल आराजी का 1/4 हिस्सा नही खोलकर 1/2 हिस्सा दर्शाते हुए क्रेतीगण के पक्ष मे खोला गया जो गलत था। जिसे दुरूस्त किया जाना उचित एवं आवश्यक है।

प्रकरण की जॉच तहसीलदार केकड़ी/पैरोकार सरकार से जवाब प्राप्त किया गया। तहसीलदार केकड़ी/पैरोकार सरकार ने अपनी रिपोर्ट पत्र क्रमाक/रीडर/2019/1148 दिनांक 15.11.19 द्वारा स्वीकार किया गया कि उक्त नामा0 संख्या 468 दिनांक 23.02.2008 संवहन से क्रेतागण के पक्ष मे हिस्से के अंकन गलत दर्ज हो गया व मथुरा देवी,ओमा देवी व सोदरा देवी के बचे हिस्से प्रत्येक के 1/12,1/12 के हिस्से को जमाबंदी से विलोपित कर दिया जिसे दुरूस्त किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थी के प्रार्थनापत्र व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया,तथा वकील प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थीयागण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है। उक्त नामा0 संख्या 468 दिनांक 23.02.2008 संवहन से क्रेतागण के पक्ष मे हिस्से के

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (जिला-अजमेर)

अंकन गलत दर्ज हो गया व मथुरा देवी,ओमा देवी व सोदरा देवी के बचे हिस्से प्रत्येक के 1/12,1/12 के हिस्से को जमाबंदी से विलोपित कर दिया जिसे दुरूस्त किया जाना उचित है। अंकगणित भूल की दुरूस्ती नामा0 मे कभी भी की जा सकती है,राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु (लैण्ड रेकार्डस)रूल्स 1957 नियम 123 (पतिराम बनाम कलुआ 1991 आर0आर0डी0 293)के अनुसार नामान्तरण मे असावधानीवश कोई लिपिकीय अंक गणित की भूल हो गयी हो तो उसे ठीक करने की शक्ति तहसीलदार को प्राप्त है। अतः तहसीलदार केकड़ी उक्त नामा0 संख्या 468 दिनाक 23.02.2008 मे हुई अंकगणितीय भूल को बाद जॉच नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही करे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (जिला अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2019.12.19 17:17:24 IST
Reason: SelfAttested
Location: